

M.P.STATE COMBINED ONLINE COUNSELING (M.B.B.S./B.D.S.)
NEET U.G.2017 FIRST ROUND TENTATIVE SCHEDULE
(As on 30.08.2017)

IN COMPLIANCE OF HON'BLE SUPREME COURT ORDER DATED 29.08.2017 IN SLP(C)22438/17 and 22439 AND HON'BLE HIGH COURT JABALPUR BENCH ORDER DATED 24.08.2017 IN W.P. No. 12601/2017 & 12774/2017

S.No.	Event	Duration
1	Publication of revised State Merit list as per applicant state data in NEET UG 2017 result	30.08.2017
2	Choice filling and Choice locking (One time for all the rounds)	31.08.2017 (00:01 Hrs.) to 01.09.2017(9 A.M.)
3	Publishing of Round-1 Allotment Result	03.09.2017
4	Reporting at allotted Medical/Dental college for scrutiny and admission.	From Immediately after declaration of allotment result till 08:00 PM on 04.09.2017

प्रथम चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया


माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 क्रमांक 22438-22439/2017 में पारित निर्णयानुसार "म0प्र0 राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2017" में संशोधित काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समय सीमा में पुनः प्रथम चरण की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

1. पुनर्निर्धारित समय सारिणी अनुसार प्रथम चरण की काउंसिलिंग आन लाईन की जावेगी । काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु एम0पी0आन लाईन में पूर्व से रजिस्टर्ड समस्त पात्र अभ्यर्थियों को नई "च्वाईस फिलिंग" एवं "लॉकिंग" की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा । जिसका अवसर अभ्यर्थी को मात्र एक बार ही दिया जावेगा । अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह पूर्णतः सोच समझकर "च्वाईस फिलिंग" एवं "लॉकिंग" करें । "च्वाईस लांकिंग" के उपरांत "च्वाईस" में किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होगा ।

2. स्टेट कोटे की पूर्व की काउंसिलिंग द्वारा प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिनके मूल दस्तावेज किसी संस्था में जमा है उन्हे अपना वर्तमान "अलाटमेंट लेटर" एवं पूर्व में अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा जारी मूल दस्तावेज जमा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संस्था में जमा समस्त मूल दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि वर्तमान में आवंटित नवीन संस्था में प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा ।

3. नवीन आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु आवश्यक शुल्क एम0पी0आन लाईन के माध्यम से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में शुल्क का भुगतान किया जा चुका है नवीन आवंटन पश्चात् आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उनका शुल्क आवश्यकतानुसार समायोजित किया जावेगा ।

3. काउंसिलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी समय-समय पर कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं निर्धारित पोर्टल www.dme.mponline.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाईट के सतत संपर्क में रहें ।


30.08.17
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश